

—:अधिसूचना:—

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना

1. प्रस्तावना :

राज्य में महिलाओं, कामगार विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक किट/उपकरण—सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता प्रदान करने एवं राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 1.00 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :

इस योजना का नाम "विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना" होगा एवं इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना 01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :

"विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना" के अन्तर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, राजीविका एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प, केश कला के कामगार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों एवं राजीविका/NULM की महिलाओं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों को स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के उद्देश्य से आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड के चिन्हित या पहचान-पत्र धारक, राजीविका/NULM द्वारा चिन्हित महिलाएं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग/विकास आयुक्त हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा जारी पहचान-पत्र धारक इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।

4. पात्रता की शर्तें :

योजना अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना आवश्यक है।

- आवेदक के पास जन आधार कार्ड हो।
- आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी।
- आवेदक द्वारा गत 2 वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार के माध्यम से दूल किट हेतु कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया हो।
- परिवार की आय 3 लाख रुपये से कम हो।
- इस योजना के लिए राज्य के शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड के चिन्हित या पहचान-पत्र धारक एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग/विकास आयुक्त हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा जारी पहचान-पत्र धारक, राजीविका/NULM द्वारा चिन्हित महिलाएं एवं श्रम विभाग के चयनित कामगार इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।

Signature Valid
Sagar
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.07.07 15:21:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4230993



5. योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी :

"विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना" का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्ग पात्र महिलाओं, कामगारों, हस्तशिल्पी, केश कला बोर्ड के दस्तकार एवं घुमन्तू वर्ग के व्यक्तियों, राजीविका की महिलाओं एवं श्रम विभाग के चयनित कामगारों को आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि के क्रय करने की प्रक्रिया एवं वितरण निम्न बोर्ड/संस्थान/विभाग द्वारा किया जायेगा :-

1 राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड	बोर्ड द्वारा चिन्हित या पहचान पत्र धारक दस्तकार
2 राजस्थान केश कला बोर्ड	बोर्ड द्वारा चिन्हित या पहचान पत्र धारक कामगार
3 राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड	बोर्ड द्वारा चिन्हित या पहचान पत्र धारक
4 आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों/ विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा जारी हस्तशिल्प पहचान पत्र धारक दस्तकार
5 राजीविका/NULM	राजीविका/NULM द्वारा चयनित महिलाएं
6 श्रम विभाग	श्रम विभाग के चयनित कामगार

आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि का क्रय एवं वितरण संबंधित बोर्ड/संस्थान/विभाग द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा तथा हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने की कार्यवाही कार्यालय आयुक्त एवं वाणिज्य के मुख्यालय स्तर से की जायेगी एवं इसका वितरण संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

6. अनुदान एवं सहायता :

राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, राजीविका द्वारा चयनित महिलाएं, श्रम विभाग द्वारा चयनित कामगारों व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा चिन्हित दस्तकारों को आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि हेतु 5000/-रु. का अनुदान/सहायता/ उपकरण 1.00 लाख युवाओं को दिये जायेंगे, जिनके बोर्ड/संस्थान/विभाग के अनुसार लक्ष्य निम्न प्रकार होंगे:-

क्र.सं.	बोर्ड/विभाग	लक्ष्य
1.	राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड	10,000
2.	राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड	10,000
3.	राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड	5,000
4.	कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प योजना	25,000
5.	राजीविका/NULM- महिलाएं	30,000
6.	श्रम विभाग-कामगार	20,000

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.07.07 15:21:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4230993



नोट— निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जावेगा।

7. आवेदन की प्रक्रिया :

योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाएं, कामगार, हस्तशिल्पी केश कला के दस्तकार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों को संबंधित बोर्ड/संस्थान/विभाग यथा— राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, राजीविका, NLUM, श्रम विभाग एवं संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को निर्धारित पत्र में आवेदन करना होगा। बोर्ड/संस्थान/विभाग द्वारा पात्रता की जाँच एवं योग्य आवेदकों के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार सूची एवं आरक्षित सूची तैयार की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु समिति :

“विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना” के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की छानबीन संबंधित बोर्ड यथा— राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, राजीविका, NLUM, एवं श्रम विभाग द्वारा के अपने स्तर पर गठित कमेटी द्वारा की जायेगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की अध्यक्षता में उनके स्तर पर गठित कमेटी द्वारा की जायेगी।

9. आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने एवं वितरण करने की कार्यवाही :

संबंधित बोर्ड/संस्थान/विभाग द्वारा योजनान्तर्गत पात्र पाये गये कामगारों/ दस्तकारों आदि को आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि नियमानुसार क्रय करने एवं वितरण करने की कार्यवाही अपने स्तर पर की जावेगी। उपकरण क्रय करने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 (RTPP) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

हस्तशिल्प दस्तकारों एवं श्रम विभाग के कामगारों के आवश्यक टूल किट स्वयं दस्तकारों एवं कामगारों द्वारा 5000/-रु. तक अपने स्तर से किये जायें जिनका क्रय किये गये बिल के आधार पर पुनर्भरण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि दस्तकार/कामगार द्वारा 5000/-रु. तक की सीमा से अधिक राशि के टूलकिट क्रय कर बिल प्रस्तुत किया जाता है तो 5000/-रु. की सीमा तक का ही पुनर्भरण किया जायेगा।

10. निर्बन्धन एवं शर्तें :

योजना के अन्तर्गत आधुनिक आवश्यक किट/आधुनिक उपकरण/सिलाई मशीन इत्यादि के लाभार्थियों द्वारा उपकरण/मशीन का उपयोग उसी कार्य हेतु स्वयं के द्वारा किया जायेगा।

11. योजना की व्याख्या, क्रियान्वयन एवं संशोधन :

“विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना” में किसी बिन्दु की व्याख्या एवं क्रियान्वयन के अधिकार आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य में निहित होंगे। योजना में किसी प्रकार का संशोधन प्रशासनिक विभाग अर्थात् उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.07.07 16:21:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4230993



12. प्रशासनिक विभाग :

“विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना” का प्रशासनिक विभाग राज्य सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162301357 दिनांक 03.07.2023 पर प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी की जाती है।

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
7. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य।
8. श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान।
9. राज्य मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह।
10. सगस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. निदेशक, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशनार्थ।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केशकला बोर्ड।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad
Sagar
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.07.07 15:21:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4230993

